न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
38/2025/प्रा.पत्र/2025	15.05.2025	26.06.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री हरिशंकर सिंहल पुत्र स्व. श्री अमरचन्द सिंहल एफ.बी.ओ. मैसर्स जगदीश प्रसाद अमर चन्द छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0। निवासी वार्ड नं0 10 छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804 मोबाईल नं0 9875175516।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 26/6/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.02.2025 को समय 02:01 मैसर्स जगदीश प्रसाद अमर चन्द छाया मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री हरिशंकर सिंहल पुत्र स्व. श्री अमरचन्द सिंहल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जगदीश प्रसाद अमर चन्द छाया मार्केट देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ तेल, घी, मसाले, मिठाई नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री हरिशंकर सिंहल पुत्र स्व. श्री अमरचन्द सिंहल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री हरिशंकर सिंहल पुत्र स्व. श्री अमरचन्द सिंहल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा विक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री हरिशंकर सिंहल की उपस्थिति में मैसर्स जगदीश प्रसाद अमर चन्द छाया मार्केट देवली जिला टोंक का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में घी, तेल, मसाले गुड, शक्कर कन्फैक्शनरी व अन्य खाद्य पदार्थ साथ–साथ दुकान की रैंक में 9 नग मूल पैक **घी श्री पार्श्व ब्राण्ड (Ghee Shree Parshav Brand)** प्रत्येक 449–449 ग्राम के वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री हरिशंकर सिंहल पुत्र स्व. श्री अमरचन्द सिंहल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री हरिशंकर सिंहल पुत्र स्व. श्री अमरचन्द सिंहल के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी श्री पार्श्व ब्राण्ड (Ghee Shree parshav Brand)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान की रैक में रखे 9 नग मूल पैक प्रत्येक 449–449 ग्राम **घी श्री पार्श्व ब्राण्ड (Ghee Shree parshav Brand)** में से 449–449 ग्राम के 4 नग मूल वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी श्री पार्श्व ब्राण्ड (Ghee Shree parshav Brand)** 449–449 ग्राम के चार नग कुल मात्रा 1796 ग्राम **घी श्री पार्श्व ब्राण्ड (Ghee Shree parshav Brand)** को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग को गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4247 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4247 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग नय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/334 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0एस0/536/एक्ट /2025/566 दिनांक 04.03.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **घी श्री पार्श्व ब्राण्ड (Ghee Shree parshav Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लघंन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) का उल्लघंन करने के कारण **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री भागचन्द बैरवा उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस**घी श्री पार्श्व ब्राण्ड (Ghee Shree parshav Brand)**का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है। उक्त **घी श्री पार्श्व ब्राण्ड (Ghee Shree parshav Brand)**जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)**व **अवमानक(Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी श्री पार्श्व ब्राण्ड (Ghee Shree parshav Brand)** का नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/6/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक